पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

MASTER CIRCULAR

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/04/CRA-02 **23 November 2023**

To,

i. Central Recordkeeping Agency ('CRA')
ii. National Pension System Trust ('NPS Trust')
iii. Government Nodal Offices (i.e. CG, SGs, CABs & SABs)
iv. Point of Presence ('PoP')

Madam / Sir,

NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)

1. This Master Circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) read with Section 14(2)(e) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

2. This Master Circular rescinds the existing guidelines/instructions on the subject of "NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)" and consolidates at one place. The list of underlying circulars rescinded in this Master Circular is furnished in the Appendix.

This Master Circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

-sd-
(**Ashish Kumar**)
Chief General Manager

INDEX
PART I – Introduction
PART II – General Guidelines
PART III – Specific Guidelines/Instructions
PART IV – List of circulars consolidated in the Master Circular

PART I – Introduction

1. To expedite the process of generation of PRAN and timely upload of NPS contribution, CRAs have enabled the functionality i.e. Online PRAN Generation Module (OPGM) to generate PRAN online with minimal documentation. To ensure a smoother onboarding process under NPS, the Authority hereby provides a master circular on OPGM.

PART II – General Guidelines

2. The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular but, also the applicable laws.

3. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (*earlier issued circulars*) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, Part IV containing the list of circulars consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of this Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.

4. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (*for the period of their operation*) shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

5. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (*now rescinded*), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III – Specific Guidelines/Instructions

6. To streamline the process of onboarding NPS subscribers under OPGM, CRAs have introduced two methods: one with the photo and signature of the subscriber uploaded by respective nodal offices or PoP, and the other without the photo and signature of the subscriber. In instances where the photo and signature are not initially captured in NPS

accounts, such accounts are considered irregular until complete documentation is verified and recorded with the CRAs. To streamline such cases, the Authority hereby provides a revised process for onboarding of NPS subscribers under OPGM**:**

(i). No new account shall be opened by CRA without photo & signature and CRA shall also not facilitate corporates or PoPs to open such accounts.

(ii). CRAs shall provide a facility for uploading photo and signature online in the accounts, where photo and signature is not updated.

(iii). CRAs shall send alerts, on a monthly basis, to prompt the subscribers with pending documentation to complete the formalities so as to regularize their NPS accounts.

(iv). Other guidelines regarding opening of NPS account through OPGM remain the same.

7. CRAs shall make available the guidelines / SOPs on OPGM on their website for the stakeholders.

PART IV - List of circulars consolidated in the Master Circular

Sl.	Circular No.	Date	Subject
1	PFRDA/2020/9/SUP-CRA/2	13 April 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM) & Freezing norms
2	PFRDA/2020/11/SUP-CRA/4	20 April 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
3	PFRDA/2020/29/SUP-CRA/12	30 June 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
4	PFRDA/2020/43/SUP-CRA/16	01 October 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
5	PFRDA/2021/1/SUP-CRA/1	31 December 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
6	PFRDA/2021/8/SUP-CRA/7	09 April 2021	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)

मास्टर परिपत्र

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2023/04/CRA-02 **23 नवम्बर 2023**

प्रति,

i. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ('सीआरए')
ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ('एनपीएस ट्रस्ट')
iii. सरकारी नोडल कार्यालय (अर्थात सीजी, एसजी, सीएबी और एसएबी)
iv. उपस्थिति अस्तित्व ('पीओपी')

महोदया / महोदय,

ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) के माध्यम से एनपीएस ऑनबोर्डिंग

1. यह मास्टर परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 (2) (ङ) के साथ पठित धारा 14 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
2. यह मास्टर परिपत्र "ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) के माध्यम से एनपीएस ऑनबोर्डिंग" विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों / अनुदेशों को निरस्त करता है और उन्हें एक ही जगह पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निरस्त किए गए अंतर्निहित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

यह मास्टर परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

-sd-

(**आशीष कुमार**)
मुख्य महाप्रबंधक

सूची
भाग I – परिचय
भाग II – सामान्य दिशानिर्देश
भाग III – विशेष दिशानिर्देश / अनुदेश
भाग IV – मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची

भाग I – परिचय

1. प्रान जेनरेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने और एनपीएस अंशदान को समय पर अपलोड करने के लिए, सीआरए द्वारा न्यूनतम प्रलेखन के साथ ऑनलाइन प्रान सृजित करने हेतु कार्यप्रणाली अर्थात ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) को सक्षम किया गया है। एनपीएस के तहत एक सुचारू ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा ओपीजीएम पर एक मास्टर परिपत्र प्रदान किया जा रहा है।

भाग II – सामान्य दिशानिर्देश

2. मध्यस्थ / इकाई का अनुपालन दायित्व, मास्टर परिपत्र के साथ-साथ लागू कानूनों से भी संबद्ध होगा।

3. यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु उसके (*पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों*) के लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रभाव के प्रति पूर्वाग्रह से तब तक मुक्त होगा, जब तक कि उन्हें मास्टर परिपत्र के तहत शामिल नहीं कर लिया जाता हो। उपर्युक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची वाले भाग IV में शामिल परिपत्रों को इस मास्टर परिपत्र के जारी होने के साथ निरस्त कर दिया जाएगा, ताकि वे मास्टर परिपत्र में सम्मिलित हो जाएं और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, सतत रूप से लागू रहें।

4. किसी परिपत्र के इस प्रकार निरसन के बावजूद, मास्टर परिपत्र में उनके विलय पर, या अन्यथा, अब निरस्त किए गए परिपत्रों (उनके *संचालन की अवधि के लिए*) के अंतर्गत की गई या उठाई गई या कथित रूप से की गई या उठाई गई या की जाने वाली या इसके बाद उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई को वैध रूप से किया हुआ माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी प्रकार उनके निरसन से अप्रभावित रहेंगे।

5. निरस्त किए गए परिपत्रों के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत रूप से किए गए या उठाए गए, किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या अधिग्रहित, अर्जित या व्यवस्थित देयता, कोई जुर्माना, कोई पारित आदेश, कोई उल्लंघन, कोई जांच, उस परिपत्र (*अब निरसित*) के संदर्भ में लंबित कानूनी कार्यवाही, किसी भी प्रकार उनके निरसन से प्रभावित नहीं होंगे और उन्हें इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वे परिपत्र पूरी तरह लागू और प्रभावी हों।

भाग III – विशेष दिशानिर्देश / अनुदेश

6. ओपीजीएम के तहत एनपीएस अभिदाताओं के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, सीआरए द्वारा दो तरीके पेश किए थे : पहला, संबंधित नोडल कार्यालयों या पीओपी द्वारा अभिदाता की अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर के साथ, और दूसरा, अभिदाता की फोटो और हस्ताक्षर के बिना। ऐसे मामलों में जहां फोटो और हस्ताक्षर शुरू में एनपीएस खातों में कैप्चर नहीं किए गए हों, ऐसे खातों को तब तक अनियमित माना जाता है जब तक कि पूरे दस्तावेज सत्यापित नहीं हो जाते और उन्हें सीआरए के साथ दर्ज नहीं कर लिया जाता है। ऐसे मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा ओपीजीएम के तहत एनपीएस अभिदाताओं को शामिल करने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया प्रदान की जा रही है :

(i). फोटो और हस्ताक्षर के बिना सीआरए द्वारा कोई नया खाता नहीं खोला जाएगा और सीआरए द्वारा कॉर्पोरेट्स या पीओपी को ऐसे खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

(ii). सीआरए द्वारा उन खातों में ऑनलाइन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जहां फोटो और हस्ताक्षर अपडेट नहीं हुए हों।

(iii). सीआरए द्वारा मासिक आधार पर अलर्ट भेजा जाएगा, ताकि लंबित दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अभिदाताओं प्रेरित किया जा सके और उनके एनपीएस खातों को नियमित किया जा सके।

(iv). ओपीजीएम के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने के संबंध में अन्य दिशानिर्देश पूर्वकथित रहेंगे।

7. सीआरए द्वारा हितधारकों हेतु अपनी वेबसाइट पर ओपीजीएम सम्बन्धी दिशानिर्देश/एसओपी उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग IV - मास्टर परिपत्र में शामिल परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	PFRDA/2020/9/SUP-CRA/2	13 अप्रैल 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM) & Freezing norms
2	PFRDA/2020/11/SUP-CRA/4	20 अप्रैल 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
3	PFRDA/2020/29/SUP-CRA/12	30 जून 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
4	PFRDA/2020/43/SUP-CRA/16	01 अक्टूबर 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
5	PFRDA/2021/1/SUP-CRA/1	31 दिसंबर 2020	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)
6	PFRDA/2021/8/SUP-CRA/7	09 अप्रैल 2021	NPS On-boarding through Online PRAN Generation Module (OPGM)